2026

केन्द्रीय बजट 2026-27 और रोज़गार: दीर्घकालीन उपायों पर ज़ोर

नेसार अहमद

बजट अध्ययन एवं अनुसन्धान केंद्र, जयपुर
Budget Analysis and Research Centre
(www.barctrust.org)

केन्द्रीय बजट 2026-27 और रोज़गार: दीर्घकालीन उपायों पर ज़ोर

नेसार अहमद

देश में रोज़गार की स्थिति

भारत में काम करने की आयु (15-59 वर्ष) के व्यक्तियों की आबादी 2011 में 73.54 करोड़ थी जो सरकार द्वारा गठित जनसंख्या पर विशेष समूह के अनुसार, 2026 में बढ़ कर 92.23 करोड़ हो गई है।[1] अर्थात, इस अवधि में प्रति वर्ष लगभग सवा करोड़ की आबादी श्रम बल में जुड़ी है। परंतु देश में तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद रोज़गार उस तेजी से नहीं बढ़ा है और इसीलिए काफी संख्या में लोग बेरोजगार होते हैं या ऐसे रोज़गार में लगे होते हैं जहां कम मजदूरी मिलती है या फिर वो किसी कम आय वाले स्वरोज़गार में लगे होते हैं ।

देश में प्रति वर्ष होने वाले पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएललएफएस) के अनुसार देश में 15 वर्ष से अधिक आबादी में वर्ष 2017-18 में के अनुसार सामान्य स्थिति की बेरोजगारी की दर 6% थी जो 2023-24 में घट कर 3.2% (लगभग 3 करोड़ लोग) रह गई है।[2] हालांकि प्रचलित साप्ताहिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की दर 2023-24 में 4.9% थी।[3]

भारत में बड़ी संख्या और अनुपात में युवा आबादी रहती है। सरकार द्वारा गठित जनसंख्या पर विशेष समूह के अनुसार, वर्ष 2026 में देश में युवा आबादी (15-29 वर्ष) 36.73 करोड़ है, जो इस वर्ष देश की कुल आबादी का 25.72% है। कुल युवा आबादी में 19.16 करोड़ पुरुष और 17.55 करोड़ महिलायें हैं । बेरोजगारी की समस्या इन युवाओं के लिए और भी विकट होती है। 2023-24 में युवाओं में बेरोजगारी की दर 10.2% थी।[4]

रोज़गार का प्रकार

जैसा कि पीएललएफएस के आँकड़े बताते हैं, देश में पिछले वर्षों में रोज़गार का प्रतिशत बढ़ा है। देश में कार्य भागीदारी दर (15 वर्ष से अधिक कि कुल कार्यशील जनसंख्या का उसी आयु की कुल जनसंख्या से

[1] https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Population%20Projection%20Report%202011-2036%20-%20upload_compressed_0.pdf
[2] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2057970&reg=3&lang=2
[3] सामान्य स्थिति की बेरोजगारी दर में उस व्यक्ति को बेरोज़गार माना जाता है जिसे साल में 6 महीने से अधिक दिन काम नहीं मिला हो, जबकि प्रचलित साप्ताहिक बेरोज़गार उसे मानते हैं जिसे पिछले एक सप्ताह में कोई काम ना मिला हो ।
[4] https://dge.gov.in/dge/sites/default/files/2025-05/173_e.pdf

अनुपात) 2017-18 में 46.8% था जो 2023-24 में बढ़ कर 58.2% हो गया। यह बढ़ोतरी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तुलना में अधिक हुई है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात ये है कि 2017-18 से 2023-24 के बीच महिलाओं की कार्य भागीदारी दर लगभग दोगुनी हो गई है । 2017-18 में जहां महिलाओं की कार्य भागीदारी दर 23% थी वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 41.7% हो गई। हालांकि शहरी क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी 20% से सिर्फ 28% हुई वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य भागीदारी दर 2017-18 में 25% से बढ़कर 2023-24 में लगभग 48% हो गई (सारणी-1)। हालांकि अभी भी पुरुष व महिला कार्य भागीदारी का अंतर काफी अधिक है।

सारणी 1: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति (ps+ss) में कार्य भागीदारी अनुपात (WPR)

	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी		
वर्ष	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
2023-24	78.1	46.5	62.1	72.3	26.0	49.4	76.3	40.3	58.2
2022-23	78.0	40.7	59.4	71.0	23.5	47.7	76	35.9	56.0
2021-22	75.3	35.8	55.6	70.4	21.9	46.6	73.8	31.7	52.9
2020-21	75.1	35.8	55.5	70.0	21.2	45.8	73.5	31.4	52.6
2019-20	74.4	32.2	53.3	69.9	21.3	45.8	73.0	28.7	50.9
2018-19	72.2	25.5	48.9	68.6	18.4	43.9	71.0	23.3	47.3
2017-18	72.0	23.7	48.1	69.3	18.2	43.9	71.2	22.0	46.8

स्रोत: पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएललएफएस)[5]

लेकिन कार्य भागीदारी दर में यह वृद्धि मुख्यतः कृषि क्षेत्र में और स्वरोज़गार के रूप में हुई है। अभी भी लगभग 45% कार्यशील लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 44% पुरुष और 70% महिलायें कृषि में संलग्न हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 60% पुरुष और 65% महिलायें सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं।[6] अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और शहरों में सेवाओं में ही रोज़गार उपलब्ध है। अद्योगिक क्षेत्र कम ही लोगों को रोज़गार दे पाता है।

अगर रोज़गार के प्रकार को देखें तो अधिकांश कार्यरत लोग स्वरोजगार में हैं, नियमित रोज़गार प्राप्त करने वाले और अनियमित मजदूरी में कम लोग हैं। विशेष कर महिलाओं के रोज़गार दर में हुई वृद्धि

[5] https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/Press_note_AR_PLFS_2023_24_22092024.pdf
[6] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2174773&reg=3&lang&lang=2

मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार में वृद्धि के रूप में ही हुई है। 2018 में 50% कार्यशील महिलायें स्वरोजगार में संलग्न थीं वहीं 2024 में स्वरोज़गार करने वाली महिलाओं का प्रतिशत बढ़ कर 66% हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 73% महिलायें और 59% पुरुष स्वरोजगार में लगे हुए हैं और इनमें से अधिकांश खेती में काम करते हैं।[7] जाहिर है इनमें से अधिकतर लोग छोटे किसान हैं जो अपने खेतों पर काम करते हैं और इनकी आय बहुत कम होती है। स्वरोज़गार में संलग्न आधी महिलायें तो अपने घर के काम (खेती या अन्य) में बिना वेतन सहायता कार्य में लगी हैं ।[8] स्वरोजगार करने वालों में दूसरों व्यक्तियों को रोज़गार देने की स्थिति में मात्र 9% पुरुष हैं जबकि ऐसी महिलायें 1% से भी कम हैं। 73% स्वरोजगार करने वाले पुरुष और आधी महिलायें अपनी खेती या अन्य कार्य में स्वयं कार्य कर रहे हैं और 18% स्वरोजगार करने वाले पुरुष और आधी महिलायें घर के काम (खेती या अन्य) में बिना वेतन सहायता कार्य में लगे हैं।

सारणी 2: स्वरोजगार में लगे लोगों के प्रकार 2024 (%)

लिंग	स्यं का कार्य	नियोक्ता	बिना वेतन सहायता कार्य
पुरुष	73.41%	8.68%	17.91%
महिला	49.73%	0.95%	49.32%

स्रोत : पीएलएफएस, https://www.dataforindia.com/self-employment/

ऐसे में महिलाओं के रोज़गार दर में वृद्धि कोई बहुत उत्साह जनक खबर नहीं लगती है। अगर हम इसके सकारात्मक पहलू को देखें तो ये कह सकते हैं कि जहां महिलाओं के बिना वेतन सहायता कार्य पहले आंकड़ों में नहीं आ पाते थे, वहीं अब कुछ हद तक उनकी गिनती की जा रही है जो एक सही कदम है ।

जहां तक उद्योगों (कारखानों और खनन आदि) में रोज़गार की बात है तो अभी भी ये क्षेत्र मात्र एक चौथाई रोज़गार ही दे पाता है । आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 28.5% कार्यशील पुरुष और 14.6% कार्यशील महिलायें ही उद्योगों में कार्य करते हैं।

[7] https://www.dataforindia.com/self-employment/
[8] https://www.dataforindia.com/self-employment/

मजदूरी और आय

यहाँ यह चर्चा करना भी जरूरी है कि वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक स्वरोजगार और नियमित रोज़गार में लगे लोगों की वास्तविक मासिक आय[9] में भी कमी आई है। सरकार ने पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में ही बताया था कि 2023-24 में स्वरोज़गार कर रहे पुरुषों की वास्तविक मासिक आय 2017-18 से 9.1% कम थी, जबकि स्वरोज़गार करने वाली महिलाओं की वतविक मासिक आय इस अवधि में 32% कम हो गई थी। उसी तरह नियमित रोज़गार में लगे पुरुषों की वतविक मासिक आय इस अवधि में 6.4% और महिलाओं की वास्तविक मासिक आय 12.5% काम हुई। अनियमित मसदूरी करने वालों की आय में इस अवधि में मामूली वृद्धि हुई।[10]

बजट 2026-27 में रोज़गार

रोज़गार के उरोक्त स्थितियों में हम महिलाओं और पुरुषों के वेतन और मजदूरी में अंतर और महिलाओं पर पड़ने वाले घरेलू देखभाल के कार्य के बोझ को भी जोड़ कर देख सकते हैं। आगे हम रोज़गार और मजदूरी की इस स्थिति में बजट 2026-27 को समझने का प्रयास करेंगे ।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रोज़गार का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया लेकिन कई बार अन्य विषयों के साथ रोज़गार की बात जरूर की। जैसे उन्होंने एक कपड़ा विस्तार और रोज़गार योजना की चर्चा की, जिसमें कपड़ा उद्योगों के क्लस्टर के आधुनिकीकरण, मशीन और तकनीकी सुधार के लिए सहायता की जाएगी, उन्होंने सेवा क्षेत्र में "शिक्षा से रोज़गार और उद्यमिता" पर एक स्थायी समिति बनाने की घोषणा की जो सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का मुख्य चालक बनाने पर सुझाव देगी, उन्होंने होटल प्रबंधन पर राष्ट्रीय परिषद को भारतीय अतिथि सत्कार संस्थान में बदलने और 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 गईडों का 12 सप्ताह का प्रशिक्षण भारतीय प्रबंधन संस्थान से करवाने पर एक पायलट कार्यक्रम की घोषणा की, स्वरोज़गार में संलग्न महिला समूहों के लिए शी-मार्ट की घोषणा की, और साथ ही खेल और पशुपालन में रोज़गार और उद्यमिता बढ़ाने की बात भी की ।

2025-26 के संशोधित बजट में भारी कटौती:

बजट भाषण में और उसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025-26 में 7.4% के दर से वृद्धि कर रही है। लेकिन इसके बावजूद, वर्तमान वर्ष 2025-26 में राजस्व आय का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है और संशोधित अनुमान में सकल राजस्व का लक्ष्य 42.70 लाख करोड़ से

[9] बढ़ी मंहगाई के अनुपात में वर्तमान वेतन काम करने के बाद के वेतन वास्तविक वेतन / आय कहते हैं ।
[10] https://www.business-standard.com/budget/news/real-earnings-fell-for-salaried-self-employed-in-past-6-years-eco-survey-125013101362_1.html

कम कर 40.77 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही बजट घाटे और सरकारी कर्जे को कम रखने की कोशिश में वर्तमान वर्ष (2025-26) का बजट संशोधित अनुमान में बजट अनुमान से 1 लाख करोड़ रुपए कम रह गया है। परिणाम स्वरूप सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का सम्मिलित बजट भी 2025-26 के संशोधित बजट में 5.41 करोड़ रुपये से घट कर 4.20 लाख करोड़ रुपये रह गया है। 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय भी 15.48 लाख करोड़ से घट कर संशोधित बजट में 14.03 लाख करोड़ ही रह गया है ।

घटे हुए संशोधित अनुमानों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, ग्रामीण एवं शहरी विकास मंत्रालयों के बजट पर भी पड़ा है जिनका 2025-26 का बजट संशोधित कर बजट अनुमान से कम कर दिया गया है। विशेष रूप से जल शक्ति मंत्रालय और रोजगार एवं शहरी मामले मात्रालय के बजट क्रमशः 58% और 40% तक कम हो गए हैं ।

रोज़गार की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य मंत्रालय जैसे श्रम एवं रोज़गार; सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उपक्रम और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयों के 2025-26 के संशोधित बजट 47 से 61% तक कम हुए हैं, जबकि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का बजट 18% कम हुआ है (सारणी-3) । और अब 2026-27 में भी इस मंत्रालयों के बजट में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, जैसा कि नीचे की सारणी में देखा जा सकता है।

सारणी 3: रोज़गार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बजट (रुपये करोड़ में)

	2023-24 (ब. अ.)	2023-24 (व्यय)	2024-25 M (ब. अ.)	2024-25 (व्यय)	2025-26 (ब. अ.)	2025-26 (स.अ.)	2026-27 (ब. अ.)	2025-26 RE में 2025-26 (ब. अ.) से वृद्धि	2026-27 (ब. अ.) में 2025-26 (ब. अ.) से वृद्धि
ग्रामीण विकास मंत्रालय									
ग्रामीण विकास विभाग	157545	161932	177566	176655	187755	186996	194369	-0.40	3.52
भूमि संसाधन विभाग	2419.23	1710.9	2667.2	2652	2651	1757.4	2654.3	-33.71	0.13
कुल	159964	163642	180233	179307	190406	188753	197023	-0.87	3.48
जल शक्ति मंत्रालय									

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग	20054.7	18538.8	21323.1	20866.7	25276.8	18405.7	19913	-27.18	-21.22
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	77223	76570.1	77390.7	25853.3	74226	23031.1	74894.9	-68.97	0.90
कुल	97277.7	95109	98713.8	46719.9	99502.9	41436.8	94807.8	-58.36	-4.72
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	13221.7	11385.6	22531.5	11408	32646.2	12688.1	32666.3	-61.13	0.06
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	22138	21783.3	22138	8230.97	23168.2	12096	24566.3	-47.79	6.03
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	3287.65	2262.68	3290	2304.07	4364.22	3571.57	4064.16	-18.16	-6.88
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	3517.31	2982.17	4520	2774.7	6100.1	2703.54	9885.8	-55.68	62.06
युवा मामले और खेल मंत्रालय	3397.32	2982.6	3442.32	2710.73	3794.3	3346.54	4479.88	-11.80	18.07
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	76431.6	68564.9	82576.6	53255.2	96777	57203.8	85522.39	-40.89	-11.62

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज़, भिन्न वर्ष

नोट: ब.अ. - बजट अनुमान स.अ. - संशोधित अनुमान

ये सभी मंत्रालय रोज़गार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा रोज़गार गारंटी कानून मनरेगा जो अब **वीबी जीरामजी** हो गया है लागू किया जाता है। इसके अलावा भी ये मंत्रालय दीन दयाल उपाध्याय - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण जैसी महत्त्वपूर्ण योजनाएं लागू करती है, जो ग्रामीण रोज़गार बढ़ाने में सहायक हैं । वहीं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन लागू किया जाता है, जो एक बड़ी योजना है और कई तरह के रोज़गार पैदा करने का क्षमता रखती है। उसी तरह शहरी अवासन और विकास मंत्रालय प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी और कई अन्य योजनाएं लागू करती है।

लेकिन जैसा कि सारणी 3 के आँकड़े दिखाते हैं, इस सभी मंत्रालयों के 2025-26 के बजट में कटौती हुई है। और इनका 2026-27 का बजट भी एक दो मामलों को छोड़ कर 2025-26 की अपेक्षा या तो नहीं बढ़ा है या फिर कम हुआ है।

वीबी जीरामजी/मनरेगा: अगर हम सरकार की उन योजनाओं और कार्यक्रमों को देखें जो रोज़गार संवर्धन के लिए चलाए जाते हैं तो उनमें भी हमें कोई विशेष प्रगति नहीं दिखती । सबसे पहले तो बात मनरेगा में हुए बड़े बदलाव की करनी चाहिए। मनरेगा की जगह आए विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, (संक्षेप में वीबी जीरामजी) पर अब तक काफी चर्चा हो चुकी है। वर्ष 2026-

27 के बजट में वीबी-जीरामजी के लिए 95,692.31 करोड़ रुपये रखे गए हैं जो पिछले वर्ष मनरेगा को आवंटित 86,000 करोड़ रुपये से अधिक है। साथ ही मनरेगा के लिए भी इस वर्ष 30,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस तरह देखें तो रोज़गार गारंटी की राशि पहले से बढ़ी हुई है। लेकिन क्या या राशि रोज़गार चाहने वाले सभी ग्रामीण परिवारों को गारंटी की हुई 125 दिन का रोज़गार देने के लिए काफी है? मनरेगा पर काम करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि उसके लिए यह राशि नाकाफ़ी है। साथ ही, वीबी-जीरामजी का क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को पहले से अधिक आवंटन करना होगा और इस योजना का क्रियान्वयन खेती के मौसम में 2 महीने के लिए स्थगित रहेगा । यानी बजट में बढ़ोतरी के बावजूद रोज़गार की गारंटी को लेकर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

लेकिन इसके आलवा ग्रामीण विकास मंत्रालय के महत्त्वपूर्ण योजनाओं जैसे दीन दयाल अंत्योदय - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण के बजट में या तो बढ़ोतरी नहीं हुई है या बजट कम हुआ है (सारणी 4)।

सारणी 4: ग्रामीण विकास की योजनाओं का बजट (रुपये करोड़)

योजना	**2023-24 (ब. अ.)**	**2023-24 (व्यय)**	**2024-25 M (ब. अ.)**	**2024-25 (व्यय)**	**2025-26 (ब. अ.)**	**2025-26 (स.अ.)**	**2026-27 (ब. अ.)**
वीबी जीरामजी							95,692.31
मनरेगा	60,000	89,153.71	86,000	85,834.4	86,000	88,000	30,000
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	19,000	15,379.59	19,000	17,870.92	19,000	11,000	19,000
दीन दयाल अंत्योदय - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	14,129	13,934.13	15,047	14,705.3	19,005	16,000	19,200
प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण	54,487	21,770.19	54,500	32,326.57	54,832	32,500.01	54,916.7
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण	7,192	6,545.96	7,192	3,613.29	7,192	6,000	7,192
जल जीवन मिशन	70,000	69,992.34	70,163	22,615.05	67,000	17,000	67,670

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज़, भिन्न वर्ष

जैसा कि सारणी से स्पष्ट है प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट पिछले 5 वर्षों से 19,000 करोड़ रुपये से नहीं बढ़ा है और उसका भी कभी पूरा उपयोग नहीं हुआ है । वर्ष 2025-26 में तो आवंटित बजट का मात्र 60% से भी कम खर्च होने का अनुमान है। प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण की भी लगभग यही स्थिति है।

दीन दयाल अंत्योदय - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्यं सहायता समूह के द्वारा स्वरोज़गार को बढ़ावा दिया जाता है, का बजट भी पिछले 2 वर्षों में आवंटन से कम खर्च हुआ है और वर्ष 2026-27 में भी ये वर्तमान वर्ष के समान ही है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के बजट में महिला उद्यमियों के लिए शी मार्ट की घोषणा भी हुई है जो उन्हें बाजार से जोड़ने में सहायक हो सकती है।

जल जीवन मिशन (जल शक्ति मंत्रालय) का बजट भी वर्ष 2024-25 में 32% ही खर्च हो पाया था और 2025-26 में 25% ही खर्च हो पाने का अनुमान है। 2026-27 में भी इस योजना का बजट वर्तमान वर्ष के लगभग बराबर ही रखा गया है।

शहरी विकास की योजनाएं जिनसे शहरों में रोज़गार को बढ़ावा मिल सकता है, की भी लगभग ऐसी ही स्थिति है । सारणी 5 में शहरी विकास की योजनाओं का बजट दिखाया गया है ।

सारणी 5: शहरी विकास की योजनाओं का बजट (रुपये करोड़)

योजना	2023-24 (ब. अ.)	2023-24 (व्यय)	2024-25 M (ब. अ.)	2024-25 (व्यय)	2025-26 (ब. अ.)	2025-26 (स.अ.)	2026-27 (ब. अ.)
अमृत	8,000	5,590.84	8,000	5,646.62	10,000	7,500	8,000
दीन दयाल अंत्योदय - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन				61.61		200.00	536.51
प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी	25,103	21,684.33	30,171	5,815.43	19,794	7,500	18,625.05
स्वच्छ भारत मिशन - शहरी	5,000	2,392.28	5,000	1,893.22	5,000	2,000	2,500

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज़, भिन्न वर्ष

जैसा कि सारणी में देख सकते हैं, पिछले 4 वर्षों में सभी महत्तवपूर्ण योजनाओं का बजट या तो कम हुआ है या स्थिर है। पिछले 2 वर्षों में प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी में बजट का उपयोग मात्र 19% (2024-25) और 37% (2025-26 स.अ.) ही हुआ है। वहीं वर्ष 2026-27 में स्वच्छ भारत मिशन - शहरीका बजट वर्ष 2023-24 और 2024-25 की अपेक्षा आधा रहा गया है। अमृत योजना, जिसके तहत शहरी निकायों को शहरी बुनीयदी ढांचा के लिए अनुदान मिलता है का बजट भी इन वर्षों में स्थिर रहा है।

रोजगार को बढ़ावा देने वाली अन्य योजनाएं

जैसा कि सारणी 1 में देखा जा सकता है, कुछ अन्य मंत्रालयों जैसे श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का बजट 2023-24 की अपेक्षा 2026-27 में दोगुना से अधिक हो गया है लेकिन इस अवधि में एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालयों के बजट में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। युवा मामले और खेल मंत्रालय का बजट में जरूर थोड़ी वृद्धि दिखती है।

अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाओं में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसे पहले *नया रोजगार सृजन योजना* कहा जाता था, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में नए रोजगार पैदा करना है। इसके तहत लोगों को औपचारिक रोजगार से जोड़ने, कंपनियों को नई नौकरियाँ देने के लिए प्रोत्साहित करने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाता है। वर्ष 2025-26 में इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये रखे गए थे, लेकिन संशोधित बजट में इस राशि को घटाकर 848 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत पुनः 20,082 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। आशा कर सकते हैं कि इस वर्ष ये योजना पूरी तरह लागू होगी।

कौशल विकास: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत स्किल इंडिया कार्यक्रम, जिसके तहत प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना आती है, का बजट इस वर्ष (2025-26) में 2,700 करोड़ रुपये था जो संशोधित अनुमान में 2,000 करोड़ रुपये रहा गया। वर्ष 2026-27 में इसका बजट 2,800 करोड़ रुपये रखा गया है। पिछले महीने आए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पहले प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के पहले 3 चरणों में प्रशिक्षित 56.14 लाख उम्मीदवारों में से केवल 23.18 लाख करोड़ (41%) को ही रोज़गार मिल पाया था। अंकेक्षण रिपोर्ट में योजना के क्रियान्वयन में अन्य गड़बड़ियाँ भी पाई गई हैं।[11]

[11] https://cag.gov.in/uploads/PressRelease/PR-Press-Brief-Report-No-20-of-2025-English-06944f390e59d02-19424340.pdf

इस वर्ष उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन (पीएम सेतु) योजना की घोषणा हुई है, जो पहले से चल रही नई उन्नत आईटीआई और अन्य योजनाओं की जगह लेगी । इस योजना के लिए इस वर्ष 6,140 करोड़ रखे गए हैं । खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना का बजट वर्तमान वर्ष (2025-26) के समान ही रखा गया है।

महिला रोज़गार: महिलाओं के रोज़गार के लिए शी मार्ट की घोषणा के अलावा कोई विशेष घोषणा नहीं हुई है। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में महिलाओं पर देख भाल (केयर वर्क) के कार्यों के बोझ को उनके रोज़गार में नहीं आने का एक बड़ा कारण बताया गया है। लेकिन सरकार द्वारा इस दिशा में कोई विशेष घोषणा नहीं हुई है। अंगनबाड़ी केंद्र, क्रेश (पालना योजना) और वर्किंग महिला आवास (सखी निवास) जैसी योजनाएं महिला रोज़गार को बढ़ावा देने में सहायक हैं । अंगनबाड़ी केंद्र का बजट सक्षम अंगनबाड़ी और पोषण 2.0 (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) के तहत आता है जिसमें मामूली वृद्धि हुई है। जबकि पालना योजना और सखी निवास योजनायें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ही सामर्थ्य योजना के तहत आती हैं जिसके बजट में नगण्य वृद्धि हुई है।

इसके अलावा बजट में 10,000 करोड़ का SME Growth Fund की घोषणा हुई, जिस से रोजगार पैदा करने वाले छोटे उद्योगों को समर्थन दिया जाएगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्ययक्ष करों में कई प्रकार के सुधारों की घोषणा हुई है ताकि विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को बढ़ावा मिले। बजट में बढ़ते पूँजीगत खर्च (संपत्ति निर्माण जैसे सड़क, रेल, पुल आदि) से और सेवा क्षेत्रों में रोज़गार सृजन की आशा की गई है। लेकिन ये सब मुख्यतः दीर्घ कालिक उपाय हैं। जबकि रोज़गार सृजन के अन्य महतत्वपूर्ण योजनाओं (कौशल विकास, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, पेय जल) आदि पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है ।

इस आलेख का संक्षिप्त संस्करण India Development Review - Hindi पर प्रकाशित हुआ है। लिंक: https://hindi.idronline.org/article/budget-2026-men-yuwaao-or-mahilaao-ke-liye-rojgaar/